

माननीय अशोक भान और एच. एस. बरार, जे. जे. के सामने मेसर्स हरियाणा वनस्पति और जनरल मिल्स।-याचिकाकर्ता। अदालत के आदेश का पूरी तरह से और प्रभावी रूप से पालन (करके) करे। एक और मौका दिया है। हमारी राय में इस आदेश को किसी भी तरह से पेटेंट पत्र के खंड X के उद्देश्यों के लिए एक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अपील गलत है। विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष पूरी सामग्री रखने के बजाय और विद्वत एकल न्यायाधीश को संतुष्ट करने के बजाय कि अपीलकर्ता (अवमानना याचिका में प्रतिवादी) ने अदालत के आदेश का पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से पालन किया है, अपीलकर्ता इस गलत धारणा वाली अपील को दायर करके एक खण्ड पीठ के पास गया है, जिसे हम 5 कहते हैं? ऊपर रखा गया है, रखरखाव योग्य नहीं है।

(20) उपरोक्त कारणों से, अपील को बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है और इसलिए, 1,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। (एक हजार)।

आरएनआर

*माननीय अशोक भान और एच. एस. बरार, जे. जे. के सामने
मेसर्स हरियाणा वनस्पति और जनरल मिल्स।-याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 7408।

15 जुलाई, 1994।

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14 & 19—हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973- धारा 13- ख- हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975- आर. एल. 28-ए (9) (1) और 28-ए (10) (वी)- रियायत सात साल की अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट- छूट की अवधि के दौरान व्यवसाय का बंद होना-नियम 28-ए (9) (1)- आर. एल. के तहत छूट को रद्द करना। 28-ए (10) (वी) छूट प्राप्त विक्रेता को बंद होने पर छूट प्राप्त कर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान करने की आवश्यकता होती है उक्त दोनों नियम अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं। 14 और संविधान का 19वां खंड- छूट प्राप्त कर की राशि की वापसी के लिए शर्त एक उचित प्रतिबंध है जो मनमाना नहीं है- नियमों का पूर्वव्यापी संचालन अवैध नहीं है।

अशोक भान, जे.

अभिनिर्धारित किया कि हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं कि नियम 28-ए (8) (आई) और 28-ए (10) (वी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारातीत हैं।

सात साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट कुछ योग्य इकाइयों को दी जाने वाली रियायत है। यह प्रावधान किया गया है कि यदि इकाई ने छूट/स्थगन की अवधि के दौरान छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अपना व्यवसाय छोड़ दिया या अपना व्यवसाय बंद कर दिया तो उसे दिया गया छूट पात्रता प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। ऐसा कर के भुगतान से छूट के दौरान कंपनी के निरंतरता और सुचारू रूप से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है अन्यथा इस तरह की छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है जहां एक इकाई धोखाधड़ी कर सकती है और कुछ समय के लिए कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के बाद अपना व्यवसाय बंद कर सकती है। यह कुछ शर्तों के साथ एक रियायत थी जो हमारे विचार में उचित है।

(पैरा 5)

अभिनिर्धारित है कि कर के भुगतान से छूट देते समय एक शर्त लगाई जाती है कि इकाई को उसको दी गई छूट की अवधि के दौरान काम करना चाहिए अन्यथा वह कर की उस राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी है जिसके लिए छूट दी गई थी। लगाया गया प्रतिबंध न तो मनमाना है और न ही पूर्वव्यापी है।

(पैरा 6)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता-कंपनी को लगभग दो करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और कर का लगभग 60 प्रतिशत पहले ही वसूल किया जा चुका है, हम प्रथम अपीलीय प्राधिकरण यानी संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील), रोहतक को गुण-दोष पर अपील सुनने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उसका निपटारा करने का निर्देश देते हैं। अपील की सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में शेष कर जमा करने की शर्त को हटा दिया गया है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से *अधिवक्ता ए. के. मित्तल*,

जे. वी. यादव, डी. ए. जी. हरियाणा, राज्य के लिए (प्रतिवादी)।

आदेश

(1) याचिकाकर्ता-कंपनी को हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद एच. जी. एस. टी. अधिनियम के रूप में संदर्भित) की खंड 13-बी के तहत छूट प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसे हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम 1975 (इसके बाद एच. एस. एस. टी. नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 28-ए के साथ पढ़ा गया था, अधिनियम और नियमों के तहत बिक्री कर के भुगतान से 25 अक्टूबर, 1989 से 24 अक्टूबर, 1990 तक सात साल की अवधि के लिए छूट प्रदान करी गई थी। याचिकाकर्ता का व्यवसाय रिट याचिका में निर्धारित किए गए कथन के अनुसार सितंबर 1992 में बंद हो गया था क्योंकि याचिकाकर्ता-कंपनी को कुल रु. 1,89,69,511 का नुकसान हुआ था। वर्ष 1992 में याचिकाकर्ता-कंपनी के व्यवसाय के बंद होने को देखते हुए आकलन प्राधिकरण-प्रतिवादी संख्या 4 ने छूट प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और 7,94,848 रुपये का कर लगाया और

रु. 2,36,987 कि ब्याज राशि **अधिरोपित** कि यानी कुल रु. 10,31,835। निर्धारण प्राधिकरण ने छूट प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और नियम 28-ए (9) (आई) और 28-ए (10) (वी) को देखते हुए कर लगाया, जो इस प्रकार है:—

“28-ए (9) एक योग्य औद्योगिक इकाइयों को दी गई छूट/पात्रता प्रमाण पत्र इकाई को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंधित उप

उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा रद्द किया जाएगा:

(1) इकाई द्वारा अपने व्यवसाय को किसी भी समय छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बंद करना या छूट/स्थगन की अवधि के दौरान अपना व्यवसाय बंद करना। 28-ए (10) (वी): पात्रता प्रमाण पत्र या छूट/पात्रता प्रमाण पत्र की समाप्ति से पहले उसे रद्द करने पर, छूट/अवमूल्यन की गई कर की पूरी राशि तुरंत एकमुश्त और कर की वसूली से संबंधित प्रावधानों के रूप में देय हो जाएगी। ऐसे मामले में ब्याज और जुर्माना लागू होगा।”

(2) इन नियमों के अवलोकन से पता चलेगा कि पात्र औद्योगिक इकाई को दी गई छूट या पात्रता प्रमाण पत्र, छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी समय अपने व्यवसाय को बंद करने या निष्कासन/स्थगन की अवधि के दौरान अपने व्यवसाय को बंद करने के मामले में इकाई को सुनने का अवसर देने के बाद रद्द किया जा सकता है।

(3) अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई से पहले कर के भुगतान की शर्त को समाप्त करने के लिए एक आवेदन के साथ एक अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण-प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता कंपनी को रुपये की किश्तों में लगाए गए कर की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। 2,00,000 प्रति माह फरवरी, 1994 से शुरू होने वाले प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक देय। यह आदेश 14 जनवरी, 1994 को पारित किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता 28 फरवरी, 1994 के आदेश के अनुसार 10 फरवरी, 1994 को देय किश्तों की राशि जमा करने में विफल रहा, इसलिए अपीलीय प्राधिकरण ने अपील को रखरखाव योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया।

(4) 14 जनवरी 1994 के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई थी क्योंकि अपील 28 फरवरी, 1994 को योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता-कंपनी ने 28 फरवरी, 1994 के आदेश के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया कि राशि की रु 1,00,000 की मासिक किश्तों में वसूली की जाए जो पहले आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर शुरू होता है और उसके बाद शेष मासिक किश्तें। संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (प्रथम अपीलीय न्यायालय) को योग्यता के आधार पर अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया था, जब याचिकाकर्ता ने पक्षकारों को नोटिस देकर योग्यता के आधार पर नीचे दिए गए अधिकारियों के परमादेशों को चुनौती देने के साथ-साथ नियम 28-ए (9) (आई) और 28-ए (10) (वी) को अधिकारतात, असंवैधानिक और अवैध घोषित करने के लिए एक अनिवार्य रिट जारी करने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जहां तक कि पिछले लेनदेन के संबंध में इसके आवेदन को पूर्वव्यापी बनाया गया है। रिट याचिका में किए गए अन्य दावे यह हैं कि अपीलीय प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता कंपनी की कुछ संपत्तियों को कुर्क किया था जिसकी कीमत 15 लाख है और नीलामी के माध्यम से इससे रु 5,11,000 और देय कर अवशिष्ट के लिए इसे समायोजित किया। बहस के दौरान मसौदे की एक फोटो प्रति पेश की गई थी जिसमें 1,00,000 रुपये कर अवशिष्ट के प्रति अपीलीय प्राधिकरण के साथ जमा किए गए थे।

(5) हम याचिकाकर्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं कि नियम 28-ए (9) (आई) और 28-ए (10) (वी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकार से बाहर हैं। सात

साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट कुछ पात्र इकाइयों को दी जाने वाली रियायत है। यह प्रावधान किया गया है कि यदि इकाई ने छह महीने से अधिक की अवधि के लिए अपना व्यवसाय बंद कर दिया है या प्रदर्शन/स्थगन की अवधि के दौरान अपना व्यवसाय बंद कर दिया है तो उसे दिया गया छूट पात्रता प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। ऐसा कर के भुगतान से छूट के दौरान कंपनी के निरंतरता और सुचारू रूप से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है अन्यथा इस तरह की छूट का दुरुपयोग किया जा सकता है जहां एक इकाई धोखाधड़ी कर सकती है और कुछ समय के लिए कर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने के बाद अपना व्यवसाय बंद कर सकती है। यह कुछ शर्तों के साथ एक रियायत थी जो हमारे विचार में उचित है।

(6) याचिकाकर्ता के वकील का अगला तर्क यह है कि चुनौती के तहत नियमों के प्रावधान इसके संचालन में पूर्वव्यापी हैं और यह एक बुरा कानून है; कि इन नियमों का संचालन पूर्वव्यापी है और यह पिछले लेनदेन से संबंधित है और इसलिए, प्रभावित होने के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए उन्होंने *राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य* (1) और *तवाहरमल बनाम राजस्थान राज्य* (2) नामक दो निर्णयों पर भरोसा किया है।

(1) ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1667.

(2) ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 764.

इन दोनों निर्णयों में मुद्दे की मौजूदा मुद्दे से कोई प्रासंगिकता नहीं। इन निर्णयों में, विचार किया गया बिंदु पूरी तरह से अलग था और मुद्दे के बिंदु से संबंधित नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायिका एक कानून पारित कर सकती है और इसके प्रावधानों को पूर्वव्यापी बना सकती है। इस तरह की पूर्वव्यापीता को एक पक्ष द्वारा चुनौती दी जा सकती है जहां पूर्वव्यापी कार्रवाई पूरी तरह से लगाए गए कर के चरित्र को बदल देती है या इसे प्रविष्टि की सीमाओं के बाहर बनाती है जो विधानमंडल को कानून बनाने की क्षमता देती है या जो परिवर्तन किया गया है वह इतना अनुचित है कि इसे मनमाना बना देता है। वर्तमान मामले में कर के भुगतान से छूट देते समय एक शर्त लगाई जाती है कि इकाई को इकाई को दी गई छूट की अवधि के दौरान काम करना चाहिए अन्यथा कर की उस राशि को वापस करने का दायित्व जिसके लिए छूट दी गई थी। लगाया गया प्रतिबंध न तो मनमाना है और न ही पूर्वव्यापी है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि इस अपील को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी प्राधिकारी ने पहले ही देय कर का लगभग 60% यानी 5,11,000 रुपये संपत्ति की नीलामी और बिक्री से वसूली कर ली है। 1,00,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किये गये। इस तर्क में शक्ति पाते हैं। याचिकाकर्ता कंपनी को लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और लगभग 60 प्रतिशत कर की वसूली पहले ही की जा चुकी है, हम प्रथम अपीलीय प्राधिकरण यानी संयुक्त उत्पाद शुल्क और कर अधिनियम (अपील), रोहतक को निर्देश देते हैं की वह योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई करेंगे और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उसका निपटारा करेगा। अपील की सुनवाई के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में शेष कर जमा करने की शर्त को समाप्त कर दिया जाता है, पक्षों को 3 अगस्त, 1994 को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

आर. एन. आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

इससे पहले माननीय आर. पी. सेठी, जे. एल. गुप्ता और एन. के. कपूर, जे. जे., चैम्बेल सिंह, - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और।-उत्तरदाता।1989 की *सिविल रिट याचिका संख्या 5592।*
23 सितंबर, 1994।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-तदर्थ सेवा-क्या *संवर्ग में वरिष्ठता की ओर*
गिना जाना है।

यह माना गया कि 1 निदेशक भर्ती वर्ग-11 इंजीनियरिंग अधिकारी संघ में पैरा 44, खंड
(ए) और (बी) के पठन से और